रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 1975/भाद्र 4, 1897

No. 235] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 1975/BHADRA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 26th August 1975

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 50/67-CE, dated the 1st April, 1967, namely:—

In the said notification the following Explanation shall be added at the end, namely :—

"Explanation.—In this notification, the expression 'tyre' includes all types of tyres whether pneumatic, cushioned or solid."

[No. 189/75.]

N. OBHRAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

सा० का० नि० 467(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 50/67-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**.—इस अधिसूचना में 'टायर' पद में सभी प्रकार के टायर सम्मिलित हैं चाहे वे, वातिल (हवा भरने के), गद्दीदार या ठोस हों।"

[सं० 189/75]

एन० ओबराय, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975